

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

गणेश राम

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं.1478

11 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद और माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता---धारा 361 363, 364 ए--फिरौती के उद्देश्य से अपहरण के अपराध का आरोप---अपीलकर्ता को अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया-आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतने का आदेश दिया गया- भारतीय साक्ष्य अधिनियम--- धारा 65 बी--- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रदर्शनी के लिए कानूनी प्रावधानों का अनुपालन न करना-फिरौती की मांग के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं।

आदेश: धारा 364 ए के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया गया ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री बिजय कुमार पाठक, अधिवक्ता; सुश्री अनुकृति जयपुरियार, न्यायमित्र

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अ.लो.अ.

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: डॉ. गोपाल कृष्ण, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं.1478

थाना कांड संख्या-301 वर्ष-2014 थाना-रोसेरा जिला-समस्तीपुर से उद्भूत

=====

गणेश राम, पिता-ब्रह्मदेव राम, निवासी- ग्राम-रामपुर, थाना-बखारी, जिला-बेगुसराय।

... ..अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता

=====

उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री बिजय कुमार पाठक, अधिवक्ता
सुश्री अनुकृति जयपुरियार, न्यायमित्र

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अ.लो.अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक : 11-09-2024

श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सुश्री अनुकृति जयपुरियार, विद्वान न्यायमित्र और श्री दिलीप कुमार सिंह, राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त पी. पी. को सुना गया।

2. अपीलकर्ता को भारतीय दंड विधान (संक्षेप में 'भा.दं.वि.') की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2014 के रोसेरा थाना कांड संख्या 301 (जी. आर. संख्या 1030/2014) से उद्भूत 2015 के सत्र परीक्षण संख्या 374 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोसेरा, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 02.11.2017 के निर्णय (इसके बाद 'आक्षेपित निर्णय' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से दोषी ठहराया गया है और दिनांक 06.11.2017 के आदेश (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सजा सुनाई गई है। उसे भारतीय दंड विधान की धारा 364 ए के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।

अभियोजन का मामला

3. अभियोजन पक्ष की कहानी गांव+पोस्ट- करीमन, थाना.-रोसेरा, जिला-समस्तीपुर के निवासी सोने लाल मोची (अ.सा.-4) द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 02.10.2014 (प्रदर्श '1') पर आधारित है। अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श '1') में, सूचक ने कहा है कि उनका पोता हिमांशु रंजन उर्फ विशाल कुमार लगभग 11 साल की उम्र में गाँव- बांदीहा में अपने नानी के घर पर था। 01.10.2014 को 01:07 बजे अपराह्न गणेश राम (यह अपीलकर्ता), जो सूचक के बेटे सङ्गु (सह-भाई) के रिश्तेदार हैं, ने अपने मोबाइल सं. 8678847288 से मोबाइल सं. 8809860491 पर फोन किया और सूचक के बेटे की भाभी कुंती कुमारी से पूछा कि हिमांशु उर्फ विशाल कहाँ है, उसे तिनबटिया भेजें ताकि हम आपके घर आ सकें। इससे पहले उन्होंने सूचक से हिमांशु के बारे में पूछताछ की थी, जिस पर सूचक ने कहा कि वह अपने नानी के घर पर हैं। उक्त कॉल पर कुंती कुमारी ने सूचक के पोते को भेज दिया और तब से वह लापता है। सूचक और उसके परिवार के सदस्यों ने पूरी रात उसकी तलाश की। गणेश राम का

मोबाइल फोन भी बंद था। 02.10.2024 को 09:30 बजे जब सूचक ने गणेश राम के मोबाइल नंबर पर बात की, तो उसने फिरौती के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की। सूचक ने फिरौती की मांग की उक्त बात को दर्ज किया है, जिसे वह प्रस्तुत कर सकता है।

4. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श '1') के आधार पर, 2014 का रोसेरा थाना कांड संख्या 301, एकमात्र आरोपी गणेश राम के खिलाफ था और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद, पुलिस ने इस अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 364ए के तहत 2014 कि आरोप पत्र संख्या 179 दिनांक 02.10.2014 प्रस्तुत किया। इस आरोप पत्र के आधार पर, विद्वान ए.सी.जे.एम. ने 29.05.2015 पर संज्ञान लिया। यह पता चलने पर कि जिस अपराध का दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया था, वह सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जहां एकमात्र आरोपी के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 364ए के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसे अपीलकर्ता को हिंदी में समझाया गया था, जिस पर उसने दोषी न होने की दलील दी और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले को साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रदर्शित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित अभियोजन पक्ष के गवाहों और दस्तावेजों के नाम सारणीबद्ध रूप में नीचे उल्लिखित हैं:-

अभियोजन गवाहों की सूची

अ.सा.-1	कुंती कुमारी
अ.सा.-2	बसंत राम
अ.सा.-3	अशोक कुमार राम
अ.सा.-4	सोनेलाल मोची
अ.सा.-5	हिमांशु रंजन उर्फ विशाल

अ.सा.-6	अविनाश कुमार
अ.सा.-7	लखन राम
अ.सा.-8	बैजनाथ मंडल
अ.सा.-9	नरेश पासवान

प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श.1	सूचक की लिखित याचिका (अ.सा.-4)	16.01.17	एस. डी./- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 16.01.2017
प्रदर्श.2	औपचारिक एफ. आई. आर.	29.08.17	एस. डी./- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 29.08.17
प्रदर्श.3	आरोप पत्र पर पी.डब्ल्यू.आई. ओ. नरेश पासवान के हस्ताक्षर	“	
प्रदर्श.4	सी. डी. आर. रिपोर्ट-1	“	
प्रदर्श.4/1	सी. डी. आर. रिपोर्ट-2	“	
प्रदर्श.5	दं.प्र.सं. की धारा 164 अंतर्गत वक्तव्य।	09.10.17	एस. डी./- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 09.10.17

विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्क को सुनने के साथ-साथ सबूतों के अवलोकन के बाद पाया कि घटना की तारीख को पीड़ित, आरोपी (अपीलकर्ता) की हिरासत में था जो एक स्वीकृत तथ्य था जैसा कि आरोपी ने खुद धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान में कहा था कि वह पीड़ित को मेले में ले गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि सबसे पहले आरोपी ने सूचक से पीड़ित के बारे में पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि पीड़ित उसके ननिहाल में है। कुंती (अ.सा.-1) के साक्ष्य में यह सामने आया है कि कुंती के साथ अच्छे संबंध होने के कारण आरोपी ने उसे पीड़ित को एक विशेष

स्थान पर भेजने के लिए कहा जहां उसने पीड़ित को आरोपी के कहने पर भेज दिया और पीड़ित को सोनमा प्राणपुर से आरोपी की हिरासत में बरामद कर लिया गया और पीड़ित की दादी ने उसे बताया कि फिरौती की मांग की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना की तारीख, समय और स्थान की पुष्टि की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सी.डी.आर. (प्रदर्श 4 और 4/1) से पाया कि आरोपी ने 2 अक्टूबर 2014 को सुबह 9:01 बजे, 9:49 बजे और 9:55 बजे सूचक से बात की थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि आरोपी पीड़ित को एक मेले में ले गया था, लेकिन मेले के बाद आरोपी ने पीड़ित को उसके घर वापस नहीं लौटाया। विद्वान विचारण न्यायालय ने हालांकि पीड़ित के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास पाया, लेकिन यह राय दी कि पीड़ित एक नाबालिग है और घटना दो साल पहले हुई थी और गवाही के समय उसकी उम्र लगभग 13 साल है, इसलिए वह कुछ तथ्य भूल सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़ित (अ.सा.-5) के साक्ष्य से पाया कि उसने उसके पिता से फिरौती की मांग के तथ्य का समर्थन किया है और वह तीन दिनों तक आरोपी की हिरासत में रहा। पीड़ित को बखरी थाना के साथ संयुक्त कार्रवाई में आई.ओ. (अ.सा.-9) द्वारा बरामद किया गया और फिरौती की मांग का सभी गवाहों द्वारा समर्थन किया गया। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय इस मामले के अभिलेखों और परिस्थितियों पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची कि आरोपी (अपीलकर्ता) ने फिरौती के उद्देश्य से अपहरण का अपराध किया है और तदनुसार उसे भारतीय दंड विधान की धारा 364 ए के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ।

7. इस मामले में दिनांक 27.08.2024 के आदेश द्वारा, हमने इस न्यायालय की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुकृति जयपुरियार को इस न्यायालय की सहायता के लिए विद्वान

न्यायमित्र नियुक्त किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उस दिन उपस्थित नहीं थे। तत्पश्चात्, जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी पेश हुए। इस न्यायालय ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के अतिरिक्त पी. पी. श्री सत्य नारायण प्रसाद दोनों को सुना है।

8. अपीलकर्ता के लिए विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि पीड़ित लड़के सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही से यह प्रतीत होता है कि यह अपीलकर्ता सूचक का रिश्तेदार था। अ.सा.-1 के साक्ष्य में यह सामने आया है कि अपीलकर्ता रक्षाबंधन के अवसर पर उसके घर गया था और वह दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान भी गया था। यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि पीड़ित लड़का दुर्गा पूजा उत्सव की पूर्व संध्या पर गाँव का मेला देखने के लिए अपीलकर्ता के साथ गया था। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, यह वैसा मामला नहीं है जिसमें निर्णायक रूप से यह माना जा सकता है कि पीड़ित लड़के का अपहरण कर लिया गया था।

9. विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि यह आगे सबूत में आया है कि 02.10.2014 को, सूचक के साथ-साथ उसके बेटे, दोनों ने अपीलकर्ता के साथ बात की थी। हालाँकि इन दोनों गवाहों ने कहा है कि अपीलकर्ता ने उन्हें बच्चे की वापसी के बदले में पांच लाख रुपये भुगतान करने को कहा था, लेकिन इन दोनों गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर फिरौती का पैसा नहीं दिया गया तो वह पीड़ित को मार देगा या किसी भी तरह की चोट पहुंचाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़ित लड़के ने भी, लौटने के बाद, विद्वत दंडाधिकारी के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 64 के तहत अपने बयान में यह आरोप नहीं लगाया कि अपीलकर्ता ने उसे अपनी जान के लिए खतरा पैदा किया था या उसे कोई आशंका थी कि अगर मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो उसे चोट पहुंचाई जा सकती है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में, आई. ओ. ने हालांकि सूचक के बेटे के मोबाइल फोन की कॉल विवरण रिपोर्ट (सी. डी. आर.) को साबित कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने सी. डी. आर. को क्रमशः प्रदर्श '4' और '4/1' के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सी. डी. आर. एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होने के नाते कानून के अनुसार प्रदर्शित नहीं किया गया है। धारा 65 बी भा.दं.वि. के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदर्श '4' और '4/1' को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वे विधिवत सिद्ध नहीं हुए हैं।

11. यह भी दलील है कि पीड़ित लड़के ने नौ साल की उम्र में दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान दिया था। दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत उसके बयान से यह प्रतीत होता है कि विद्वान दंडाधिकारी ने अपना बयान दर्ज करते समय सच्चाई को समझने और बयान देने के लिए पीड़ित की क्षमता का परीक्षण नहीं किया था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में, **ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 3245** में रिपोर्ट की गई, यह मत व्यक्त किया है कि नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नाबालिग पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत एक बयान अपने आप में सबूत का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन मुकदमे के दौरान गवाह के सबूत की सत्यता का परीक्षण करने के लिए उसी का उल्लेख किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़ित लड़के का बयान दर्ज करने वाले विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है।

12. विद्वान न्यायमित्र ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रवि ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य, (2023) 6 एस.सी.सी. 76 में प्रतिवेदित और विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, (2024) 5 एस.सी.सी. 258 में प्रतिवेदित, के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि इन दोनों मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धारा 364 ए भा.दं.वि. की आवश्यकताओं पर विचार करने का अवसर मिला था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, धारा 364 ए भा.दं.वि. के आवश्यक तत्व गायब हैं क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा सूचक, उसके बेटे या पीड़ित लड़के को मांग पूरी न होने पर जान से मारने या किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाने की कोई धमकी नहीं दी गई थी।

13. अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में भा.दं.वि. की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाता है। अपीलकर्ता पहले ही लगभग दस साल की सजा काट चुका है, इसलिए एक वैकल्पिक निवेदन किया गया है कि भले ही भा.दं.वि. की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध किया जाता है, अंतिम विश्लेषण में, भा.दं.वि. की धारा 363 के तहत प्रदान की गई अधिकतम सजा केवल सात साल की अवधि है, अपीलकर्ता भा.दं.वि. की धारा 364 ए के तहत आरोप से बरी होने के बाद तुरंत अपनी रिहाई का हकदार होगा।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

14. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, राज्य के लिए अतिरिक्त पी. पी. ने अपील का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया है और माना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को धारा 364 ए भा.दं.वि. के तहत सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है। सूचक (अ.सा.-4), उसके बेटे (अ.सा.-1), पीड़ित लड़के (अ.सा.-5) और आई. ओ. (अ.सा.-9) के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए, विद्वान अतिरिक्त पी. पी. ने कहा कि वे सुसंगत हैं और बचाव

पक्ष उनकी जिरह के दौरान उन पर महाभियोग चलाने में विफल रहा है। वे विश्वसनीय गवाह हैं और विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

विचारणीय

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान न्यायमित्र और राज्य के लिए अतिरिक्त पी. पी. को सुनने के बाद और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष का मामला सोनेलाल मोची (अ.सा.-4) द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-1) पर आधारित है जो पीड़ित लड़के के दादा हैं। लिखित रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपने मोबाइल संख्या 8678847228 से मोबाइल संख्या 8809860491 पर कॉल किया था और पीड़ित लड़के हिमांशु उर्फ विशाल के बारे में पूछताछ की थी। इस अपीलकर्ता ने सूचक (अ.सा.-1) के बेटे की भाभी से हिमांशु को तीनबती भेजने का अनुरोध किया था ताकि अपीलकर्ता उसके स्थान पर पहुंच सके। सूचक (अ.सा.-4) ने दावा किया कि इससे पहले, अपीलकर्ता ने उसे अपने घर पर भी बुलाया था और पीड़ित लड़के के बारे में पूछताछ की थी। सूचक ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़का 01.10.2014 को नहीं लौटा और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पूरी रात सघन खोज के बावजूद, न तो उसका और न ही गणेश राम (अपीलकर्ता) का पता लगाया जा सका। गणेश राम का मोबाइल संख्या बंद आ रहा था। 02.10.2014 पर लगभग 09:30 बजे सुबह सूचक ने अपीलकर्ता से अपने मोबाइल पर बात की और फिर अपीलकर्ता ने पाँच लाख रुपये की फिरौती मांगी। इसके बाद सूचना देने वाला थाना गया और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। लिखित रिपोर्ट में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने फिरौती की मांग करते समय सूचक को पीड़ित लड़के को जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। सूचक ने यह

आरोप नहीं लगाया है कि अपीलकर्ता के आचरण ने उसके मन में इस आशंका को जन्म दिया है कि पीड़ित लड़के को मौत या चोट लगने का खतरा हो सकता है।

16. इस मामले में कुंती कुमारी, जो सूचक के बेटे की भाभी है, ने अ.सा.-1 के रूप में गवाही दी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे गणेश राम का फोन आया था जिसने उसे विशाल उर्फ हिमांशु को तीनबटिया चौक भेजने के लिए कहा था। हिमांशु उसकी बहन का बेटा है और उसके साथ रह रहा था। उसने कहा है कि अपीलकर्ता के पूछने पर, उसने विशाल को तीनबटिया चौक भेजा है, उसने उसे तीन रुपये दिए थे और उसे धागा खरीदने के लिए कहा था। उसने उसे धागा खरीदने और गणेश राम को अपने साथ लाने के लिए कहा था। उसने अपने मुख्य-परीक्षण में बताया कि विशाल और गणेश दो दिनों से घर नहीं आए थे। उसने विशाल के पिता और माँ को सूचित किया था जिसके बाद खोजबीन की गई और विशाल के दादा ने मामला दर्ज कराया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने कहा है कि वह अपीलकर्ता को उस समय से जानती थी जब वह रक्षाबंधन के दौरान अपने बहनोई के साथ उसके घर आया था। उसके बहनोई का नाम बबलू राम है और यह अपीलकर्ता बबलू राम के मौसी का बेटा है। कंडिका '19' में अपनी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कहा है कि गणेश राम दुर्गा पूजा की छुट्टी के दौरान उनके घर आए थे। इस प्रकार, उसके बयान से यह स्पष्ट है कि यह अपीलकर्ता दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अ.सा.-1 के घर गया था, जब कहा जाता है कि पीड़ित लड़के को कहीं दूर ले जाया गया था। अ.सा.-1 के इस कथन को पीड़ित लड़के (अ.सा.-5) के बयान के कंडिका '14' के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसने कहा है कि गणेश राम ने उसे अपने घर पर धागा देने और फिर वापस आने के लिए कहा था, जिसके बाद वे मेला देखने जाएंगे। पीड़ित ने कहा है कि क्योंकि वह उसे जानता था, इसलिए वह अपने घर लौट आया और वहां धागा देने के बाद, वह मेला जाने के लिए अपीलकर्ता के साथ चला गया। इस समय अ.सा.-1 के साक्ष्य से यह प्रतीत

होता है कि पीड़ित लड़के को अपीलकर्ता गाँव से ही ले गया था जब अपीलकर्ता दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अ.सा.-1 के घर गया था और वह घर में मौजूद माता-पिता/अभिभावक की सहमति से पीड़ित लड़के को नहीं ले गया था।

17. पीड़ित के नाना ने इस मामले में अ.सा.-2 के रूप में गवाही दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी (अ.सा.-1) ने अपीलकर्ता के पूछने पर पीड़ित लड़के को "तीनबतिया" भेज दिया था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। उनके मुख्य परीक्षण के पैरा '6' में, अ.सा.-2 ने कहा है कि गणेश राम का एक फोन कॉल उनके दामाद अशोक कुमार राम (अ.सा.-3) के मोबाइल पर आया और फिरौती के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की गई। जब उनके दामाद ने इतनी राशि देने में असमर्थता व्यक्त की, तो अपीलकर्ता ने उनसे 3 लाख रुपये देने के लिए कहा। इस गवाह ने यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने टेलीफोन कॉल के दौरान अ.सा.-3 को किसी भी तरह की धमकी दी थी।

18. हमने अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 की गवाही से देखा है कि अपीलकर्ता, बबलू राम जो कि अ.सा.-1 का साला है, का मौसेरा भाई है और वह पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उसके घर गया था। अ.सा.-1 के बयान में यह भी सामने आया है कि अपीलकर्ता दुर्गापूजा महोत्सव में अ.सा.-1 के घर आया था। पीड़ित के पिता, जिनसे अ.सा.-3 के रूप में पूछताछ की गई है और पीड़ित के दादा, जो मामले के सूचक भी हैं और जिनसे अ.सा.-4 के रूप में पूछताछ की गई है, ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने उन्हें कोई धमकी दी थी यदि फिरौती राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। अ.सा.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका '5' में कहा है कि वह नियमित रूप से अपीलकर्ता को कॉल कर रहा था, और अपीलकर्ता को एक बार फ़ोन उठाया। अपीलकर्ता ने अपनी आवाज़ बदल ली और कथित तौर पर पाँच लाख रुपये की माँग की। उसने अपीलकर्ता को पैसे लेकर आने और अपने बेटे को

वापस ले जाने के लिए कहा। उसे बखरी स्टेशन आने के लिए कहा गया। अ.सा.-3 ने अपने बयान के कंडिका '29' में कहा है कि उसके बेटे ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता उसे पूरी रात जगाए रख रहा था और उसे सोने नहीं दिया जा रहा था और उसे कुछ भोजन भी नहीं दिया गया। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता उसका दूर का रिश्तेदार था। बचाव पक्ष द्वारा उन्हें सुझाव दिया गया था कि अपीलकर्ता पर कुंती से शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था जो शारीरिक रूप से विकलांग है और क्योंकि अपीलकर्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और दूसरी जगह शादी कर ली थी, इसलिए उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने सुझाव दिया कि अपीलकर्ता को दुर्गा पूजा के दौरान बुलाया गया था और पीड़ित लड़के को उसके साथ मेला देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में, अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है। हालाँकि, इन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। अ.सा.-3 के पूरे बयान में, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किसी भी समय, अपीलकर्ता ने अ.सा.-3 या पीड़ित लड़के को मांग पूरी नहीं होने पर मौत या किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाने की धमकी दी थी।

19. हमने सूचक (अ.सा.-4) के साक्ष्य से आगे देखा है कि अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका '6' में, उन्होंने कहा है कि 02.10.2014 को लगभग 09:30 बजे सुबह, उसने इस अपीलकर्ता के साथ अपने मोबाइल पर बात की थी और अपीलकर्ता ने फिरौती के रूप में पाँच लाख रुपये की मांग की थी। इस गवाह ने भी यह नहीं कहा है कि पीड़ित की जान को कोई खतरा था।

20. इस मामले में अ.सा.-5 के रूप में पूछताछ किए गए पीड़ित लड़के के साक्ष्य से हमें पता चला है कि उसने 14 फरवरी, 2017 को विचारण न्यायालय में गवाही दी थी, उस दिन उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। वर्ष 2014 में घटना के समय उसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी और अपने मुख्य परीक्षण में उसने कंडिका '5' में कहा है कि उसकी उपस्थिति में अपीलकर्ता

ने उसके पिता को फोन किया था और उन्हें पांच लाख रुपये के साथ आने के लिए कहा था, ऐसा न करने पर उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। हमने ऊपर देखा है कि पिता (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने उन्हें यह कहते हुए धमकी दी थी कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उनके बेटे को मार दिया जाएगा। हमारी सुविचारित राय में, इस बिंदु पर अ.सा.-3 या अ.सा.-4 द्वारा किसी भी पुष्टि के अभाव में, अ.सा.-6 की गवाही के इस हिस्से को पूरी तरह से विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा।

21. हमने देखा है कि अनुसंधान कर्ता (अ.सा.-9) ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने पीड़ित लड़के को बखरी थाना पुलिस की मदद से एक संयुक्त कार्रवाई में प्राणपुर में सोनमा रेलवे क्रॉसिंग के आगे एक जगह से बरामद किया था। अनुसंधान कर्ता (अ.सा.-9) ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया था और पीड़ित लड़का उसके साथ पाया गया था। विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पीड़ित लड़के का बयान धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया गया था। उक्त बयान को परीक्षण के दौरान प्रदर्श '5' के रूप में चिह्नित किया गया है।

22. हमने पीड़ित लड़के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दिए गए बयान से पाया है कि संबंधित समय पर, उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी। धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत अपना बयान दर्ज करने वाले विद्वान दंडाधिकारी ने प्रश्नों को समझने के लिए बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण नहीं किया। **प्रदीप (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका '9' में टिप्पणी की है जो इस प्रकार हैः.

9. "नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य

दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलवी न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता में जा सके।"

23. हम पाते हैं कि, हालांकि, उसने एक बयान दिया था कि अपीलकर्ता ने उसके पिता से फिरौती की मांग की थी, लेकिन उसने कहीं भी यह नहीं कहा था कि अपीलकर्ता ने फिरौती उपलब्ध नहीं कराने पर उसके पिता को धमकी दी थी। धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान के कंडिका '4' में, पीड़ित लड़के ने कहा है कि अपीलकर्ता उसे एक वाहन में रख रहा था, उसे सोने नहीं दिया जा रहा था और उसे ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पीड़ित लड़के ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता उसे पीट नहीं रहा था। इस मामले में धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने वाले विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

24. अनुसंधान कर्ता (अ.सा.-9) ने अ.सा.-3 और अपीलकर्ता के मोबाइल फोन की कॉल विवरण रिपोर्ट ('सी. डी. आर.') निकाल ली थी, जिन्हें विचारण न्यायालय में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन हम सुश्री अनुकृति जयपुरियार, विद्वान न्यायमित्र, की दलीलों से सहमत हैं की सी.डी.आर. (प्रदर्श '4' और '4/1') भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुसार विधिवत सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए, हम सी.डी.आर. (प्रदर्श '4' और '4/1') को खारिज करते हैं।

25. इस स्तर पर, हम धारा 361 और 364 के आवश्यक अवयवों पर ध्यान देते हैं जो भा.दं.वि. की धारा 363 और 364 ए के तहत दंडनीय आरोप लगाने वाली धाराएँ हैं:-

"361. वैध संरक्षकता से अपहरण।

जो कोई भी [सोलह] वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग को, यदि कोई पुरुष हो, या [अठारह] वर्ष से कम आयु के किसी महिला को, या

किसी अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर रखता है या लुभाता है, बिना ऐसे अभिभावक की सहमति के, तो ऐसे नाबालिग या व्यक्ति का वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण--इस धारा में "वैध अभिभावक" शब्दों में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनी रूप से ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा का काम सौंपा गया है।

अपवाद--यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होती है जो सद्भावना से खुद को किसी अवैध बच्चे का पिता मानता है, या जो सद्भावना से खुद को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है।

364. हत्या के लिए अपहरण या व्यपहरण ।

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस तरह से निपटाया जा सके कि उसकी हत्या होने का खतरा हो, तो उसे [आजीवन कारावास] या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 363 और 364 ए दंडात्मक धाराएँ हैं जो निम्नानुसार हैं:-

363. अपहरण के लिए सजा।

जो कोई भी [भारत] से या वैध संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

364 ए. फिरौती आदि के लिए अपहरण।

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है या ऐसे अपहरण या व्यपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है, और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाई जा सकती है, या सरकार या [किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति] को कोई कार्य करने या फिरौती देने से बचने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मौत हो सकती है, वह मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।]"

26. अ.सा.-3, अ.सा.-4, अ.सा.-5 और अ.सा.-9 की मौखिक गवाही के मूल्यांकन

पर, हम पाते हैं कि हालांकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम रहा है कि पीड़ित लड़के

का अपहरण कर लिया गया था क्योंकि उसे उसके पिता के वैध संरक्षण से दूर ले जाया गया था और धारा 363 भा.दं.वि. के प्रावधानों के अनुसार, हम पाते हैं कि धारा 364 ए भा.दं.वि. के तहत फिरोती की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं है।

27. रवि ढींगरा (उपरोक्त) के मामले में और विलियम स्टीफन (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भा.दं.वि. की धारा 364 ए की आवश्यकताओं पर विचार करने का अवसर था। रवि ढींगरा (उपरोक्त) में इस विषय पर मामले के कानूनों का उल्लेख करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका '23, 23.1 से 23.3' में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“23. यह न्यायालय ने, विशेष रूप से अनिल बनाम दमन और दीव प्रशासन, दमन¹ ("अनिल"), विश्वनाथ गुप्ता बनाम उत्तरांचल राज्य² ("विश्वनाथ गुप्ता") और विक्रम सिंह बनाम भारत संघ³ ("विक्रम सिंह") निम्नलिखित तरीके से धारा 364-ए. भा.दं.वि. के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश देने के लिए आवश्यक घटकों को स्पष्ट किया है:

23.1. अनिल⁴ में, उन मामलों के संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं जहां अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके संबंध में कोई आरोप नहीं बनाया गया है। उक्त मामले में, सवाल यह था कि क्या उसमें अपीलकर्ता को धारा 364-ए. भा.दं.वि. के तहत दोषी ठहराया जा सकता था, जबकि आरोप धारा 364 भा.दं.वि. के साथ धारा 34 भा.दं.वि. के तहत बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से जिन प्रासंगिक अंशों को निकाला जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:

“54. कानून के प्रस्ताव जिन्हें उपरोक्त निर्णयों से निकाला जा सकता है, वे हैं:

1 (2006) 13 एस.सी.सी 36 : (2008) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 72
2 (2007) 11 एस.सी.सी 633 : (2008) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 62
3 (2015) 9 एस.सी.सी 502 : (2015) 4 एस.सी.सी (क्रि.) 213
4 (2006) 13 एस.सी.सी 36 : (2008) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 72

(i) अपीलकर्ता को आरोपों के गलत संयोजन के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं सहना चाहिए।

(ii) कम अपराध के लिए दोषसिद्धि की अनुमति है।

(iii) इसका परिणाम न्याय की विफलता नहीं होना चाहिए।

(iv) यदि पर्याप्त अनुपालन होता है, तो आरोपों का गलत संयोजन घातक नहीं हो सकता है और इस तरह का गलत संयोजन केवल आरोप तय करने के लिए गलत संयोजन से उत्पन्न हुआ होगा।

55. धारा 364 और 364-ए के तहत अपराध करने के लिए अलग-अलग तत्व हैं। जबकि अपहरण का इरादा ताकि उसकी हत्या की जा सके या इस तरह से निपटाया जा सके कि उसे हत्या के रूप में खतरे में डाला जा सके, दंड संहिता की धारा 364 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, धारा 364-ए के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल ऐसा अपहरण या उकसाना हुआ है, बल्कि उसके बाद आरोपी ने ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी दी है या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने हेतु मृत्युदंड दिया जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है या उसकी मृत्यु का कारण बनाया जा सकता है।

56. इस प्रकार, विद्वान सत्र न्यायाधीश, दमन की ओर से एक आरोप तैयार करना अनिवार्य था जो दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत परिकल्पित अपराध के विवरण का उत्तर देते हो। यह सच हो सकता है कि अपहरण फिरौती पाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आरोप तैयार करते समय अपीलकर्ता को भी ऐसा ही करना चाहिए था। अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट है क्योंकि किसी भी आरोप को तैयार करते समय उच्च अपराध के तत्व उसके सामने नहीं रखे गए थे।

23.2. विश्वनाथ गुप्त⁵ में, यह निम्नानुसार देखा गया था: (एस. सी. सी. पीपी. 636-37, पैरा 8-9)

5 विश्वनाथ गुप्त बनाम उत्तरांचल राज्य, (2007) 11 एस.सी.सी 633 : (2008) 2 एस.सी.सी (क्रि.) 62

“8. धारा 364-ए के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या उसे भगाले जाता है और उसे हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाने की धमकी देता है और उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाई जा सकती है, और फिरोती का दावा करता है और यदि मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में आरोपी को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

9. धारा 364-ए का महत्वपूर्ण घटक अपहरण या भगा ले जाना है, जैसा भी मामला हो। इसके बाद, अपहृत/भगाए व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि यदि फिरोती की मांग पूरी नहीं की जाती है तो पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और मौत होने की स्थिति में धारा 364-ए का अपराध पूरा हो जाएगा। इस धारा में तीन चरण हैं, एक अपहरण या भगाना, दूसरा धन की मांग के साथ मौत की धमकी और अंत में जब मांग पूरी नहीं की जाती है, तो मौत का कारण बनना। यदि तीन तत्व उपलब्ध हैं, तो यह दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत अपराध होगा। तीनों अवयवों में से कोई भी एक स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर हो सकता है।”

23.3. विक्रम सिंह⁶ में, यह निम्नानुसार देखा गया था: (एस. सी. सी. पीपी. 522-23, पैरा 25)

“25. ... धारा 364-ए. भा.दं.वि. के तीन अलग-अलग घटक हैं। (i) संबंधित व्यक्ति अपहरण करता है या भगा ले जाता है या पीड़ित को अपहरण करने या भगाने के बाद हिरासत में रखता है; (ii) मौत की धमकी देता है या चोट पहुँचाता है या मौत की या चोट पहुँचाने की आशंका पैदा करता है या वास्तव में चोट पहुँचाता है या मौत का कारण बनता है; और (iii) अपहरण, भगाना या हिरासत और मौत या चोट की धमकी, ऐसी मौत या चोट की आशंका या वास्तविक मौत या चोट की धमकी संबंधित व्यक्ति या किसी और को कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने या फिरोती देने के लिए मजबूर करने के लिए की जाती है। हमारी राय में ये तत्व भा.दं.वि. की धारा 383 के तहत जबरन वसूली के अपराध से स्पष्ट रूप से अलग हैं। मौजूदा कानूनी ढाँचे में कमी को विधि आयोग द्वारा देखा गया और धारा 364-ए. भा.दं.वि. के रूप में एक

6 विक्रम सिंह बनाम भारत संघ, (2015) 9 एस.सी.सी 502 : (2015) 4 एस.सी.सी (क्रि.) 213

अलग प्रावधान को ऊपर उल्लिखित अवयवों को शामिल करते हुए फिरौती की स्थितियों को शामिल करने के लिए निगमित करने का प्रस्ताव किया गया।”

यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल ऐसा अपहरण या उकसावा हुआ है, बल्कि इसके बाद, अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी दी या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा हुई कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य करने से रोकने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए मार दिया जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है।”

28. विलियम स्टीफन (उपरोक्त) के मामले में कंडिका '10' में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसे तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“10. धारा 364-ए का पहला घटक यह है कि किसी भी व्यक्ति का अपहरण या भगाया जाना चाहिए या ऐसे अपहरण या भगाए जाने के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना चाहिए। यदि उक्त कृत्य में ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुँचाने की धमकी शामिल है, तो धारा 364-ए के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण या ऐसे अपहरण के बाद उसे हिरासत में रखने का पहला कार्य अपहरणकर्ता व्यक्ति के ऐसे आचरण के साथ जुड़ा हो जिससे यह उचित आशंका उत्पन्न हो कि अपहृत या भगाए गए व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है, तब भी धारा 364-ए लागू होगी....”

29. परिणामस्वरूप, हम भा.दं.वि. की धारा 364ए के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं और अपीलकर्ता को भा.दं.वि. की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं। चूंकि भा.दं.वि. की धारा 363 के तहत दी गई अधिकतम सजा केवल सात साल की अवधि है और अपीलकर्ता पहले ही लगभग दस साल कारावास में बिता चुका है, इसलिए हम किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर उसकी तत्काल रिहाई का निर्देश देते हैं।

30. हम विद्वान न्यायमित्र के रूप में विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुकृति जयपुरियार द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करते हैं। पटना उच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्वान न्यायमित्र को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर रु.15,000/- की समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा।

31. इस अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

लेखी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।